न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 14/2024 राजस्व अपील

1. रामखिलाडी पुत्र पांचू
2. श्रवण पुत्र पांचू

समस्त जाति मीना निवासी अगावली तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बहरावण्डा तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।
2. रामस्वरूप पुत्र छाजूराम मीना निवासी गण्डरावा तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्व तहसीलदार बहरावण्डा निर्णय दिनांक 12.03.2024 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रामखिलाडी वगैरा मुकदमा नम्बर 20/2024 अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट)

उपस्थिति : श्री नरेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
: श्री प्रदीप कुमार विजय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 उपस्थित।

:– निर्णय :–   दिनांकः 23.04.2025

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है पटवारी हल्का अगावली द्वारा एक रिपोर्ट न्यायालय तहसीलदार बहरावण्डा को इस आशय की पेश की गई कि ग्राम अगावली के खसरा नम्बर 469/701 रकबा 0.12 है. किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर सम्वत 2080 में रामखिलाडी, श्रवण पुत्रान पांचू जाति मीना निवासी अगावली तहसील बहरावण्डा ने अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर तहसीलदार द्वारा कार्यवाही करते हुये अपीलान्ट्स को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर दिये बिना ही एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 12.03.2024 पारित कर सिविल कारावास की सजा एवं विवादित आराजी से बेदखल कर शास्ति की सजा आरोपित की है। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा निर्णय दिनांक 12.03.2024 के विरूद्व यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गई व अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। प्रार्थी रामस्वरूप पुत्र छाजूराम मीना निवासी गण्डरावा तहसील बहरावण्डा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश करने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रामस्वरूप मीना को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 पर अंकित किया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को समुचित सुनवाई व साक्ष्य का पूर्ण अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्ट्स ने किसी भी गैर मुमकिन रास्ते की जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है। पटवारी हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट में अंकित नहीं किया है कि अपीलान्ट्स ने कोनसी भूमि पर अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट्स को पटवारी हल्का से जिरह का कोई अवसर नहीं दिया गया और ना ही हल्का पटवारी की रिपोर्ट एक्जीबिट हुई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज व प्रलेख भी नहीं है। जिससे अपीलान्ट्स को [illegible] अतिक्रमी माना जावे। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर तहसीलदार बहरावण्डा का निर्णय दिनांक 12.03.2024 निरस्त फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 10:27:42 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम अगावली तहसील बहरावण्डा स्थित खसरा नम्बर 469/701 रकबा 0.28 है. मे से 0.12 है. किस्म गै0 मु0 रास्ता पर डोल, डाकरे, पेड बाड लगाकर अतिक्रमण किया गया था। जिस पर तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अपीलान्ट्स को विधिवत नोटिस जारी कर तलब किये जाने पर अपीलान्ट संख्या 2 श्रवण उपस्थित भी हुआ है। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही की जाकर प्रश्नगत निर्णय दिनांक 12.03.2024 पारित किया गया है। अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा निवेदन किया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व अन्य लोगो के पास अपने खेतो व आवास पर जाने के लिये एकमात्र रास्ता खसरा नम्बर 469/701 है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। उक्त रास्ते पर अपीलान्ट्स व अन्य बहुत से लोगो ने उक्त रास्ते की भूमि को अपने खेतों में मिलाकर अवैध कब्जा कर रखा है। जिसकी शिकायत करने पर उक्त रास्ते की भूमि का सीमाज्ञान करके रास्ते पर अवैध अतिक्रमियों के खिलाफ उक्त कार्यवाही की गई है। जब प्रशासन के द्वारा अतिक्रमियों के खिलाफ बेदखली की कार्यवाही की जाने लगी तब उक्त अवैध अतिक्रमियों में से कुछ के द्वारा सिविल न्यायाधीश सिकराय के समक्ष प्रार्थीगण के खिलाफ झूंठे आधारों पर स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया गया। उक्त वाद के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की याचना को सिविल न्यायालय द्वारा खारिज फरमा दिया गया है। अपीलान्ट्स वास्तविक तथ्यों को अवगत कराये बिना अपीलाधीन आदेश को निरस्त कराना चाहते है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट्स अतिक्रमियों को आर. टी. ए. 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत विधिवत नोटिस जारी किये गये है। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही की जाकर प्रश्नगत निर्णय दिनांक 12.03.2024 पारित किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा ना तो अधीनस्थ न्यायालय में और ना ही अपील के समर्थन में इस न्यायालय में कोई साक्ष्य, सबूत पेश किये गये है, ना ही अतिक्रमण हटाये जाने सम्बन्धी दस्तावेज पेश किये गये है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट्स स्वीकार किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बहरावण्डा के प्रकरण संख्या 20/2024 उनवानी सरकार बनाम रामखिलाडी वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 12.03.2024 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

(रामस्वरूप चौहान)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 23.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामस्वरूप चौहान)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 10:27:42 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official